उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-29/2026/219/तीस-3-2026 (1981294)
लखनऊः दिनांकः 05 फरवरी, 2026

<u>विज्ञप्ति/नियुक्ति</u>

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज की संस्तुति के आधार पर परिवहन आयुक्त संगठन के अंतर्गत कार्यरत श्री अजीत सिंह, संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) (ज्येष्ठता क्रमांक-157) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रू0 15,600-39,100/-, ग्रेड वेतन रू0 5400/- (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में रू0 56,100-1,77,500/) में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) में पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री अजीत सिंह, नवप्रोन्नत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को प्रोन्नति के फलस्वरूप 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर श्री सिंह की पारस्परिक ज्येष्ठता यथासमय यथानियम बाद में निर्धारित की जायेगी। उक्त पदोन्नति के प्रकरण से सम्बन्धित यदि कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन हो, तो यह पदोन्नति संबंधित याचिका/विचाराधीन प्रत्यावेदन में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3- श्री अजीत सिंह का तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

4- श्री अजीत सिंह आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करेंगे।

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या-29/2026/219/तीस-3-2026 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
4. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ0प्र0, लखनऊ।
5. सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को उप सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-53(2)/33/पी0/एस-1(09)/2025-26, दिनांक 02 फरवरी, 2026 के संदर्भ में
6. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. संबंधित अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया अपनी योगदान आख्या सक्षम अधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे तथा शासकीय कार्यहित में पूर्व पद के पदीय दायित्वों का निर्वहन अग्रिम आदेशों तक यथावत करते रहेगें।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति/नियुक्ति को उ0प्र0 के सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए मुद्रित राजपत्र की पच्चीस प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नितिन कुमार गुप्त
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।